तारां प्रश्न क्र. — 1108 1108
परिशिष्ट [12/7/2023]

प्रश्न क्रमांक 1108]

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 248] भोपाल, सोमवार, दिनांक 29 मई 2017—ज्येष्ठ 8, शक 1939

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मई 2017

क्र. एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी. 04.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, अधिसूचना क्र. एफ-308-05-01-2010, दिनांक 10 अप्रैल 2013 एवं 26 मई 2014 में राजस्व विभाग से संबंधित सेवा को विलोपित करते हुए राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवा, पदभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पद नाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत राजस्व विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का नाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.14	अविवादित नामांतरण करना (ग्राम पंचायतों को अधिसूचना एफ 2-3/2010/सात-शा. 6 दिनांक 13-5-2016	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार(अपनी अपनी अधिकारिता में).	30 कार्य दिवस.	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
राजस्व विभाग 4A, 4B,

Scanned with OKEN Scanner

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	के अनुसार दी गई समयावधि के पश्चात् आवेदक द्वारा लिखित आवेदन की संसूचना पदाभिति अधिकारी को देने की दिनांक से).					
4.15	अविवादित बटवारा करना (ग्राम पंचायतों को अधिसूचना एफ 2-3/ 2010/सात-शा. 6 दिनांक 13-5-2016 के अनुसार दी गई समयावधि के पश्चात् आवेदक द्वारा लिख़ित आवेदन की संसूचना पदाभिति अधिकारी को देने की दिनांक से).	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार(अपनी अपनी अधिकारिता में).	90 कार्य दिवस.	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिरंजन राव, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

Scanned with OKEN Scanner